



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-45/2019-59 दिनांक : 07.02.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक,
पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल,
मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "पलामू ब्याघ्र" योजना के अंतर्गत अनावर्ती कार्य (60:40) हेतु रू0 121.800 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार रुपये) एवं आवर्ती कार्य (50:50) हेतु रू0 154.340 लाख (एक करोड़ चौवन लाख चौतीस हजार रुपये) कुल रू0 276.140 लाख (दो करोड़ छिहत्तर लाख चौदह हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-34/2020-30/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.02.2022 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-34/2020-49/आ0 व0प0 दिनांक 03.02.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-08 पलामू ब्याघ्र योजना अनावर्ती कार्य (60:40) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रू0 121.800 लाख (एक करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C24060211008010103	56.400
आपूर्ति एवं सामग्री	19C24060211008010323	16.680
कुल :-		73.080

(क) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060211008010103	37.600
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060211008010323	11.120
कुल :-		48.720

mh

बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-21 प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना आवर्ती कार्य (50:50) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 154.340 लाख (एक करोड़ चौवन लाख चौतीस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

(क) केन्द्रांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C24060211021010103	77.170
आपूर्ति एवं सामग्री	19C24060211021010323	0.000
कुल :-		77.170

(क) राज्यांश (50%)

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060211021010103	77.170
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060211021010323	0.000
कुल :-		77.170

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे, जो राशि की एक मुश्त निकासी कर सिंगल नॉडल पदाधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खाता संख्या 50100451376707 आई0एफ0सी0 कोड संख्या HDFC0002519 में जमा करायेंगे। योजना का कार्यान्वयन HDFC बैंक में खोले गये खातों के माध्यम से PFMS के द्वारा किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक-1 एवं 2** पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रों में निहित सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

6. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।
- (III) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।
- (III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।
7. Monitoring के संबंध में विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :-
- (I) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।
- (II) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
- (III) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।
- (V) उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।
- (VI). सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।
- (VII). बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।
- (VIII). Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. (I) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

11. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा।

12. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपदान विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2018 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जाएगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक 686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

16. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।


17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन दिनांक 21.01.2022 से प्राप्त है।

19. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांक 31.01.2022 को प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-45/2019-59 दिनांक-07.02.2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-45/2019-59 दिनांक-07.02.2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "पलामू ब्याघ्र योजना" (50:50) आवर्तक व्यय के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य विवरणी के अनुरूप उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(As per APO Sanctioned - 2021-22)

आवर्तक व्यय (50:50)

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य				कुल			
					उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी मेदिनीनगर	संख्या / यूनिट	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अवैध शिकार की रोकथाम											
(क)	अकुशल दैनिक श्रमिक / ट्रैकर की मजदूरी	Buffer Zone	Trekker/ Dailywager	99	77.170	77.170	0.000	99	77.170	77.170	0.000	154.340
योग :-					77.170	77.170	0.000		77.170	77.170	0.000	154.340
सारांश (राशि लाख रु० में)												
प्रमण्डल का नाम				प्राथमिक इकाई								
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल						
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।				77.170	0.0000	77.170						
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।				77.170	0.0000	77.170						
सकल योग:-				154.340	0.000	154.340						

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
शारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना "पलामू ब्याघ्र योजना" (60:40) अनावर्तक व्यय के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य विवरणी के अनुरूप उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(As per APO Sanctioned - 2021-22)

अनावर्तक व्यय (60:40)

(राशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / यूनिट	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य				कुल			
					उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर	कुल	मजदूरी		आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
1	अद्वैत शिकार का सेकथाम	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
1	स्ट्राइक फोर्स को स्थापना पर व्यय।	Core Zone	बैल	6	12.0000	12.0000	0.0000	6	12.0000	12.0000	0.0000	24.0000
(क)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स को स्थापना पर व्यय।	Core Zone	Section	45	35.0000	35.0000	0.0000	45	35.0000	35.0000	0.0000	70.0000
(ख)	अग्रयुक्त कर्मचारियों के लिये फ़िल्ड किट पर व्यय।	Core Zone	Field Gear	104	2.5000	0.0000	2.5000	103	2.5000	0.0000	2.5000	5.0000
(ग)	Recharge of MSTIPES mobiles & purchase of SIM Card	Buffer Zone	Recharge	58	1.4000	0.0000	1.4000	58	1.4000	0.0000	1.4000	2.8000
			योग :-		50.9000	47.0000	3.9000		50.9000	47.0000	3.9000	101.8000
2	युल-मूल संरचनाओं का विकास।											
(क)	Procurement of Camera Traps and batteries	Core Zone	Hardware	50	10.0000	0.0000	10.0000	50	10.0000	0.0000	10.0000	20.0000
			योग :-		10.0000	0.0000	10.0000		10.0000	0.0000	10.0000	20.0000
			सकल योग :-		60.9000	47.0000	13.9000	0.0000	60.9000	47.0000	13.9000	121.8000

प्रमण्डल का नाम	प्रथमिक इकाई		कुल
	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	47.0000	13.9000	60.9000
उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	47.0000	13.9000	60.9000
सकल योग:-	94.0000	27.8000	121.8000

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
शारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/59

दिनांक - 07-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 24060211008010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01-पलामू व्याघ्र योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	78184	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY,DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	5,640,000.00 रुपये छप्पन लाख चालीस हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
2	S 19 24060211008010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01-पलामू व्याघ्र योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	78186	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY,DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	3,760,000.00 रुपये सेतीस लाख साठ हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
3	C 19 24060211008010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01-पलामू व्याघ्र योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	78185	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY,DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,668,000.00 रुपये सोलह लाख अडसठ हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				

योग: रुपये एक करोड दस लाख अडसठ हजार

11,068,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. P.C.C.E. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060211008010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01-पलामू व्याघ्र योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	78187	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,112,000.00 रुपये ग्यारह लाख बारह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060211021010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01-पलामू व्याघ्र योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	78189	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	7,717,000.00 रुपये सित्योत्तर लाख सत्रह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	C 19 24060211021010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना 01-पलामू व्याघ्र योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	78191	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	7,717,000.00 रुपये सित्योत्तर लाख सत्रह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये दो करोड छहत्तर लाख चौदह हजार 16,546,000.00

क्रमिक योग: 27,614,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF, DEV. JHARKHAND